- लेखा परीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कार्यकारी अभिकर्ताओं (पं0रो0से0) द्वारा कार्य को सम्पादित करने हेतु अपने पक्ष में राशि आहरित की गई परंतु कार्य सम्पादित नहीं कराया गया, आहरित राशि की तुलना में कम मात्रा में कार्य कराया गया एवं मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नही किया गया जिसके फलस्वरूप अभिकर्त्ताओं के पास एक लम्बी अवधि से राशि अधिशेष थी। अंकेक्षण के दौरान, छह जिलों[28] में कुल राशि ₹ 41.33 लाख की वसूली करवाकर इसे सम्बन्धित मनरेगा खाताओ में जमा कराई गई। (**परिशिष्ट -LXVIII**)
- आगे, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा यह सूचित किया गया (02.11.2012) कि कुल राशि ₹ 57.73 लाख की वसूली की गई, 125 दोषी व्यक्तियो के विरूद्ध राशि ₹ 1.03 करोड़ हेतु प्राथमिकी दर्ज की गई, मजदूरों को भुगतान नही की गई राशि ₹ 17.37 लाख उनके खाताओ में सम्प्रेषित की गई। सं0ग्रा0रो0यो0 की अव्ययित अनुदान राशि ₹ 3.01 करोड़ जो बाधित पड़ी हुई थी, मनरेगा खातों में अंतरित की गई।
- लेखा परीक्षा प्रेक्षण के अनुपालन हेतु अंकेक्षण योग्य इकाइयों/सरकार द्वारा उपरवर्णित छोटे – छोटे प्रयास किए गए। उचित अनुपालन एवं मनेरगा के सफल कियान्वयन हेतु बहुत सारे कदम उठाए जाने बाँकी थे।

[28] औंरगाबाद, अररिया, दरभंगा, जहानाबाद, मधुबनी एवं पश्चिमी चंपारण